न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60/2025

अनवान : –

1. रणवीर पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम्

1. सुशील कुमार बिशनलाल जाति महाजन निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 05/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 70/64 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1. 0120 है० भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के 2074–2077 के खाता संख्या 39/31 के कुल खसरे 30 की कुल तादादी 4.4280 है० भूमि का गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

सायल की रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 70/64 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.0120 है० कृषि भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है इसलिए सायल को भारी परेशानी हो रही है। सायल व गैरसायल की भूमि आपस में चिपते हुए है तथा सायल अपने गांव फेफाना से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ते होते हुए अपने खेत खाता संख्या 70/64 के प० नं0 361/382 (27) के किला नं. 9 में जाने के लिए गैर सायल संख्या 1 की कृषि भूमि के प० नं0 361/382 (27) के किला नं. 6/1 में गै० मु० खाला के ऊपर से होकर किला नं. 6/2 के मिन दक्षिण की 0.012 है० भूमि व किला नं. 7 के मिन दक्षिण की 0.012 है० भूमि एवं किला नं. 8 के मिन दक्षिण की 0.012 है0 भूमि में से होते हुए सायल अपने के खेत प० नं० 361/382 (27) के किला 9 में प्रवेश करता है। और यह रास्ता सदामत से चालु है तथा उक्त रास्ता को सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। सायल को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। यह सबसे नजदीकी व सुविधाजक रास्ता है। उक्त रास्ता की भूमि के बदले में सायल गैरसायल संख्या 1 को उसकी कृषि भूमि के चिपती हुई भूमि देने के लिए तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 39/31 के प० नं0 361/382 (27) के किला नं. 6/1 में गै० मु० खाला के ऊपर से होकर किला नं. 6/2 के मिन दक्षिण की 0.012 है० भूमि व किला नं. 7 के मिन दक्षिण

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 0.012 है० भूमि एवं किला नं. 8 के मिन दक्षिण की 0.012 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल रणवीर की पत्नि माया देवी के नाम से चक 7 जे.एस. एन. के खाता सं. 65 में प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 11, 12 व 18/2 व 19, 20 कुल 5 किता की 1.1380 हैक्टर भूमि है जिसमें सबसे नजदीक सुविधाजनक रास्ता है जो भूमि सायल द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज नही की गयी है। सायल की खातेदारी भूमि में जाने के लिए सबसे सुविधाजनक रास्ता प.न 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 23 जो मांगेराम पुत्र लिच्छुराम के नाम दर्ज है के पश्चिमी सीमा से होकर प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 18 में प्रवेश सायल करता है किला नं. 18 सायल की पत्नि के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कसी भी प्रकार से खाला के उपर से होकर सायल अपनी भूमि में नही जाता ना सदामत से चालु है ना सायल किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने का अधिकारी नही है। चक 7 जे.एस.एन. के खाता सं. 65 में प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12 व 18 ता 20 व 22 ता 24 उत्तरदाता के चाचा शंकरलाल पुत्र तिलोकचन्द की खातेदारी भूमि थी जिसमे किला नं. 1, 2, 9 ता 12 व 18 तां 20 सायल रणवीर, के पिता अमीचन्द को विक्रय की थी तथा किला नं. 22, 23 की 0.120 हैक्टर भूमि मखनसिंह पुत्र अमरसिंह को विक्रय की थी तथा किला नं. 23/1 की 0.130 हैक्टर भूमि किला नं., 24/1 की 0.240 हैक्टर भूमि मांगेराम पुत्र लिच्छूराम को विक्रय की थी अमीचन्द की मृत्यु के पश्चात विरास्तन नामान्तरण सायल रणवीर के नाम दर्ज हुआ तथा रणवीर ने अपनी पत्नि मायादेवी के नाम चक 7 जे.एस.एन. के प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 11, 12, 18/2 व 19, 20 दर्ज करवा दी जबकि काश्त पति पत्नि दोनो एकल रूप से साथ साथ कर रहे है अमीचन्द को जाने के लिए उतरदाता के चाचा शंकरलाल ने भूमि मागेराम पुत्र लिच्छूराम को विक्रय की उसमें किला नं. 24/1 में रास्ता छोडकर दी हुई है तथा मागेराम के किला नं. 24 मे एक बिस्वा भूमि की रास्ता में देते हुये एक बिस्वा भूमि की किमत नही लेकर बैयनामा करवाया गया थां तथा किला नं. 24 मे से अमीचन्द किला नं. 18 में प्रवेश करता था यही रास्ता सुविधाजनक व नजदीक का है। अमीचन्द की मृत्यु के पश्चात विरास्तन नामान्तरण रणवीर सायल के नाम दर्ज हुई तथा रणवीर ने अपनी पत्नि के नाम दर्ज करवा दी किन्तु कब्जा काश्त रणवीर के ही चली आ रही है। इसलिए चक 7 जे.एस.एन. के प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 24 में एक बिस्वा रास्ता जो बिना किमत के बैयनामा उत्तरदाता के चाचा ने मांगेराम को करवाया उसमें होकर माया देवी पत्नि रणीवर के खेत में किला नं. 18 में प्रवेश करती है तथा यही सबसे नजदीक एवं सुविधाजनक रास्ता है। विधि अनुसार जब अपना स्वंय अथवा अपनी परिवार की खातेदारी भूमि में होकर कोई अपने खातेदारी में प्रवेश करता हो तो अन्य के खातेदार की भूमि में रास्ता की मांग नही कर सकता हस्तगत प्रकरण में भी साबित हे कि सायल के स्वय की पत्नि की खातेदारी में सबसे नजदीक रास्ता मौजुद है तो उतरदाता की खातेदारी में किसी प्रकार से रास्ता मंजुर करापाने के अधिकारी नही है। अत जवाब दरख्वास्त पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में मांगेराम पुत्र लिच्छुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर को फरीक बनाया जाकर चक 7 जे.एस.एन. के प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 24 में पश्चिम पासा पर जहाँ से सदामत से चालु रास्ता है वहा से मंजुर किया जाने का आदेश फरमाय जावें। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 70/64 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1. 0120 है० भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के 2074–2077 के खाता संख्या 39/31 के कुल खसरे 30 की कुल तादादी 4.4280 है० भूमि का गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी द्वारा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 39/31 के प० नं0 361/382 (27) के किला नं. 6/1 में गै० मु० खाला के ऊपर से होकर किला नं. 6/2 के मिन दक्षिण की 0.012 है० भूमि व किला नं. 7 के मिन दक्षिण की 0.012 है० भूमि एवं किला नं. 8 के मिन दक्षिण की 0.012 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने के लिए नजदीक व सुविधाजनक है एवं उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी आवागमन में उपयोग में नही लिया जा रहा है एवं प्रार्थी के लिए यह रास्ता सुविधाजनक व नजदीक नही है जबकि प्रार्थी के लिए अन्य रास्ता नजदीक व सुविधाजनक है जो की मांगेराम पुत्र लिच्छुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर को फरीक बनाया जाकर चक 7 जे.एस.एन. के प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 24 में पश्चिम पासा पर जहाँ से सदामत से चालु रास्ता है वहा से मंजुर किया जावे।

हॉ, यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी को प0न0 361/382 मु0न0 27 के किला न0 6, 7, 8 से अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु आसानी रहती है तथा प0न0 362/382 मु0न0 26 के किला न0 1/1 में 0.013 किला न0 10/1 में 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज है जबकि तहसीलदार द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिए उक्त रास्ता के अलावा नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता चक 7 जे.एस.एन. के प.न. 361/382 मु.न. 27 के किला नं. 24 में पश्चिम पासा है जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता के अलावा अन्य रास्ता को दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हस्तगत प्रकरण मे सायलान को गैरसायल की भूमि के टुकडे किये बिना भी रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल द्वारा नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता प्राप्त किया जा सकता है जबकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा प्रार्थी को अन्य निकटतम व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता था तथा सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये गैरसायल की भूमि के दो टुकडे किये बिना ही नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता स्वीकृत करने से गैरसायल को अपूर्णीय क्षति होगी एव सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता भी न्यायोचित नही है सायल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/06/26को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर